बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

मंगलवार, तिथि २६ मार्च, १९५७ ।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ ।
अतारांकित प्रश्नोत्तर	१—४०९
तारांकित प्रश्नोत्तर	४१०—४१२
विधान परिषद् से प्राप्त संदेश	४१३
स्थगन प्रस्ताव :	
रामेश्वर जूट मिल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल गैर-कानूनी घोषित (अस्वीकृत) ।	४१३—४१५
वित्तीय कार्य :	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५५ (भाग—१) की एक प्रति को मेज पर रखा जाना ।	४१५
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (भाग—१) की प्रतियां सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा विचार होने के पूर्व जनता में बिक्री हो इसके लिये प्रस्ताव (स्वीकृत) ।	४१५
दामोदर वैली कॉरपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जाना ।	४१६
आय-व्ययक : अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान :	
निगम कर को छोड़कर अन्य आयकर (स्वीकृत)	४१६
भू-आगम विभाग .. .. .. ,,	४१७
राज्य उत्पादक कर .. .. .. ,,	४१७
वन विभाग .. .. .. ,,	४१८
अन्यान्य कर तथा बलि .. .. ,,	४१८
सिंचाई विभाग .. .. .. ,,	४१९
सामान्य प्रशासन .. .. .. ,,	४१९
सामान्य प्रशासन परिगणित जातियों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण । ,,	४२०—४२२
न्याय प्रशासन .. .. .. ,,	४२२
कारागार तथा बन्दी निवेश .. .. ,,	४२२—४२३
आरक्षी विभाग .. .. .. ,,	४२३
वैज्ञानिक विभाग .. .. .. ,,	४२३—४२४
शिक्षा .. .. .. ,,	४२४

है और जिसमें कृषि विभाग की ओर से स्लूइस गेट बनाने की स्वीकृति १९५३-५४ में ही जिला कमिटी से भेज दिया गया है जो अभी तक एग्रीकल्चर इंजिनियर, श्री गोरख बाबू के यहां इस समय है उसे पूरा करने के लिये कौन-सी कार्रवाई सरकार करने जा रही है;

(२) क्या यह बात सही है कि कृषि उप-मंत्री महोदय, बिहार सरकार से मिलकर क्षेत्र-प्रतिनिधि ने १९५४ में बांध तैयार करने की सिफारिश की थी तथा इस सम्बन्ध में लिखित-पत्र भी ता० २३ नवम्बर १९५५ को दिया था। यदि हां, तो सरकार उस बांध को पूरा करने का विचार रखती है;

(३) क्या यह बात सही है कि कृषि उप-मंत्री महोदय, बिहार सरकार, ने उस बांध को क्षेत्र-प्रतिनिधि को १९५५ के मार्च तक पूरा करने का आश्वासन दिया था, यदि हां, तो अभी तक बांध में काम क्यों नहीं लगाया गया?

श्री बीरचन्द पटेल—(१) यह बात सही है कि उक्त योजना सन् १९५३ में स्वीकृत हो चुकी थी, किन्तु, बाद में कसमा के ग्रामीणों द्वारा यह विरोध किया गया कि उक्त योजना की कार्यान्विति से उनकी भूमि जलमग्न हो जायगी, तदुपरान्त, योजना नये सिरे से तैयार करनी पड़ी जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है और तत्सम्बन्धी टेन्डर भी मंजूर किया जा चुका है।

(२) योजना स्वीकृत हो चुकी है और उसे यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा।

(३) वर्षा ऋतु आ जाने के कारण योजना की कार्यान्विति अब तक रुकी रही। आशा है दिसम्बर, १९५६ में कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

किसानों को इनाम।

२४९। श्री जगलाल चौधरी—क्या मंत्री, विकास (कृषि) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गत कुछ वर्षों से अधिक अन्न उपजाने के लिये किसानों में होड़ लगाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और प्रदेश, जिला, थाना और ग्राम के स्तर पर प्रतियोगिता में जीतने वालों को इनाम दिये जा रहे हैं;

(२) यदि हां, तो अब तक भिन्न स्तरों पर विजयी हुए किसानों ने प्रति एकड़ कितना-कितना कौन-कौन-सा अन्न उपजाया है और कितना-कितना इनाम पाया है;

(३) क्या विजयी किसानों ने केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही अधिक अन्न उपजा कर इनाम पाया है या अपनी कुल भूमि में उपज बढ़ाई है, प्रत्येक की कुल भूमि का क्षेत्रफल तथा होड़ के लिये प्रयोग में लायी गयी भूमि का क्षेत्रफल क्या है?

श्री बीरचन्द पटेल—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। पर यह प्रतियोगिता प्रदेश, जिला और सबडिवीजन के स्तर पर ही सीमित है।

(२) इनकी एक सूची पुस्तकालय के मेज पर रक्खी है।

(३) इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये कई एक नियम बने हैं और उसी के नियमानुकूल किसान भाग लेते हैं। नियमों की एक प्रति पुस्तकालय के मेज पर रक्खी है जिससे आवश्यक सूचनायें प्राप्त होंगी और ये ही नियम हर भाग लेनेवाले किसानों के साथ लागू हैं।

सिंहभूम जिले में पंचायतों की संख्या।

२५०। श्री सुखदेव मांझी—क्या मंत्री, ग्राम-पंचायत विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) सिंहभूम जिला में कितने सरकारी और गैर-सरकारी पंचायत हैं;

(२) कितने और कौन-कौन सरकारी पंचायतों का सरकार चुनाव विधि (एलेक्सन मैनुअल) के मुताबिक चुनाव कर सकी है;

(३) किन-किन पंचायतों में कितने-कितने मुकदमें दायर (फाइल) किये गये हैं और उनमें से कितने तय हुए और कितने अब तक नहीं हुए हैं;

(४) कितने मुकदमों में जेल की सजा हुई, कितने में जुर्माना की सजा दी गई और कितने में राजीनामा (सलाह) किया गया और कितने मुकदमें डिसमिस हुए?

श्री भोला पासवान—(१) सिंहभूम जिला में ३८४ सरकारी तथा ३० गैर-सरकारी पंचायतें हैं।

(२) ३०० पंचायतों का चुनाव विधिवत् सम्पन्न हुआ है जिसकी सूची संलग्न है।

(३) इसकी सूची संलग्न है।

(४) इसकी सूची संलग्न है।

क्रमांक।	ग्राम-पंचायतों का नाम।	क्रमांक।	ग्राम-पंचायतों का नाम।
१	परमपंचों।	१५	उलीगुटू।
२	नरसंडा।	१६	डोम्बरापुर्णिया।
३	डिलिया मिरचा।	१७	लोटा।
४	सिंघपोखरिया।	१८	वरकुन्डिया।
५	मादक महातु।	१९	काईडेचालम।
६	भोया।	२०	गुडरा।
७	बड़ाचिरु।	२१	चिमीसाई नाकाहासा।
८	दोपाई गमारिया।	२२	डामरडिहा।
९	बरकेला।	२३	गुरा।
१०	बड़ालगिया।	२४	उकुमादकम।
११	ठाकुरगुटू।	२५	बिडदिरी।
१२	राजाबासा।	२६	नावागांव।
१३	सारदा।	२७	जोड़ापोखर।
१४	खुंटपानी।	२८	मौदाबाम्बेबासा।